भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1061

दिनांक 29.11.2005/8 अग्रहायण, 1927(शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा सेवा में भर्ती नियमों में संशोधन

1061. श्री गिरधारी लाल भार्गवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के लिए नए भर्ती नियम बनाए हैं,
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या इस प्रकार के मामलों पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के सुझावों को स्वीकारना सरकार के लिए अनिवार्य है,
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,
(ड़) क्या विभिन्न वर्गों द्वारा सरकार के समक्ष आपत्तियां उठाई गई हैं,
(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नए-नियमों को वापस लेने का है, और
(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नए भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है ।
(ख) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप निदेशक के पद का उन्नयन करने और संयुक्त निदेशक के कतिपय पदों का सृजन करने तथा तत्पश्चात् कतिपय बाकी ग्रेडों के वेतनमानों का उन्नयन किए जाने के कारण निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक की भर्ती के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं ।
(ग) जी हां, श्रीमान । भर्ती नियम बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य है ।
(घ) भारत के संविधान के अधीन और संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में सरकार के बाद के आदेशों के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य है ।
(ड़) जी नहीं, श्रीमान ।
(च) प्रश्न नहीं उठता है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है ।